'पुलिस की वर्दी एक कपड़ा नहीं, जीवन का अर्थ है'

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मैस भत्ता व वर्दी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की तथा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की।
- भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस स्थापना दिवस पर आरसीए में परेड का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारी एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिये।

जयपुर, 16 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों का साहस, सेवा भावना और बलिदान अतुलनीय है। पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और जीवन का एक अर्थ है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक हैं। वे हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद, निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान-माल की सुरक्षा करते हैं। शर्मा बुधवार को राजस्थान पुलिस अकैडमी (आर.पी.ए.) में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड निरीक्षण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। मुख्यमंत्री ने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के वर्दी भत्ते को 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये करने तथा पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये करने की घोषणा की। शर्मा ने कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अलावा, सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा भी की। शर्मा ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद से आमजन में विश्वास के साथ अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होता है। उन्होंने कहा, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांवों-मोहल्लों में बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउण्ड में परेड निरीक्षण किया। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को पुलिस पदक तथा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए।

पुलिस महानिदेशक यू आर साहू ने बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर बजट में की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

अमेरिकी जज ने भारतीय छात्र का निर्वासन रोका

वाशिंगटन, 16 अप्रैल। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को एक भारतीय स्नातक छात्र को निर्वासित करने से रोक दिया है, जिसका स्टूडेंट वीजा उसके स्नातक होने से कुछ ही हफ्ते पहले चार अप्रैल को रद्द कर दिया गया था। मैडिसन अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज विलियम कॉनले ने कहा कि यूडब्ल्यू-मैडिसन के अंतर्राष्ट्रीय छात्र 21 वर्षीय कृष्ण लाल इस्सरदासानी का छात्र वीजा रद्द नहीं किया जा सकता और ट्रम्प प्रशासन उसके खिलाफ निर्वासन सहित कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ट्रम्प प्रशासन द्वारा निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध मैडिसन के वकील शबनम लोतफी द्वारा किया गया था, जब सरकार के छात्र एवं विनिमय आगंतुक कार्यक्रम (एसईवीआईएस) डेटाबेस में इस्सरदासानी का रिकॉर्ड समाप्त कर दिया गया था।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आ गए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

'अन्नाद्रमुक चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार अन्नाद्रमुक ही बनायेगी।

अब, इडापड्डी के इस बयान के बाद, भाजपा की वे सारी योजनाएं उलट-पुलट हो जायेंगी, जो उसने तमिलनाडु को लेकर बनाई थीं। भाजपा तमिलनाडु में प्रवेश करने तथा वहाँ अपनी जड़ें जमाने के लिये पिछले कई वर्षों से जी-तोड़ कोशिश कर रही है। दरअसल, अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुये, भाजपा ने, अन्नाद्रमुक को खुश करने के लिये तथा विधानसभा चुनावों के लिये उसे एनडीए के घेरे में लेने के लिये, अपने नेता, के. अन्नामलाई को भी दरकिनार कर दिया था।

अन्नाद्रमुक महासचिव पलानीस्वामी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह गठबंधन तो केवल चुनावों के लिये है। अन्नाद्रमुक सुप्रीमो का यह रूख ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी के अंदर भाजपा के साथ हुये गठबंधन को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। खासकर, संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के पास होने के बाद कुछ पार्टी नेताओं के इस्तीफे भी आए हैं।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि कुछ प्रभावशाली अल्पसंख्यक नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं।

भाजपा ने अन्नाद्रमुक प्रमुख के बयान पर अभी तक को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह बात पक्की है कि वह इस बयान से खुश नहीं होगी। जब अन्नाद्रमुक, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गठबंधन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये "एक्स" पर पोस्ट डाली थी, "मिलकर और भी मजबूत।"

गठजोड़ की घोषणा करते हुये, केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि दोनों पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तथा यह भी कहा था कि अन्नाद्रमुक ने कोई शर्त नहीं रखी है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था, "हमने तय किया है कि अन्नाद्रमुक, भाजपा तथा गठबंधन की अन्य सभी पार्टियाँ, तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर तले मिलकर लड़ेंगी।"

अन्नाद्रमुक भी, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक तथा भाजपा के साथ हुये गठजोड़ के परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यक वोट के नुकसान के कारण, आशंकित एवं भयभीत हो रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, जब-जब अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है, उसका प्रदर्शन खराब ही रहा है। 2021 का चुनाव अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था तथा केवल 75 सीटें जीत सकी थी, जबकि उससे पहले के चुनाव में उसे 136 सीटें मिली थीं इस प्रकार उसने सत्ता खो दी थी। 2019 तथा 2024 के लोकसभा चुनावों में अन्नाद्रमुक का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। 2024 के लोकसभा चुनावों में, वह राज्य की कुल 39 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

दादी के सामने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लौट रहे थे। अचानक बाघिन ने झाड़ियों से बाहर आकर बच्चे पर हमला कर दिया। बाघिन ने बच्चे की गर्दन को मुंह में दबाया और पहाड़ियों की तरफ ओझल हो गई।

प्रत्यक्ष घटना को देखकर दादी वहां जोर-जोर से रोने लगी और बेसुध हो गई। लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही डीएफओ और वनकर्मियों की टीम जंगल की ओर दौड़ पड़ी।

वनविभाग ने कैमरों से जांच करवाई तो बाघिन सुल्ताना झाड़ियों के बीच बच्चे के ऊपर पंजा रखकर बैठी नजर आई। वन विभाग के अधिकारी बाघिन से बच्चे को छुड़वाने के लिए मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास किए। इसके बाद वन विभाग ने पटाखों का उपयोग कर बाघिन को वहां से हटाया। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। वनविभाग ने देर शाम 4 बजकर 50 मिनट पर शव को बरामद किया।

चीन ने अमेरिका के "हाई टैरिफ" की बाधा लांघने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्टोर्स के दामों से अक्सर बहुत कम होते हैं, सौ की चीज़ दस में बेचते हैं।

यह रणनीति विशेष रुप से हानिकारक इसलिए है, क्योंकि सप्लायर लागत की बारीकी में जाकर, जिन सुपर लग्ज़री बैग्स की खुदरा कीमत, उदाहरण के लिए, 34,000 डॉलर (करीब 29 लाख) हैं, उन्हें कथित रुप से केवल 1400 डॉलर में बना रहे हैं। इस खुलासे ने सोशल मीडिया में खलबली मचा दी है। लग्ज़री रीटेल के मूल्य निर्धारण में बरती जाने वाली "नैतिकता" को लेकर बातें शुरु हो गई हैं तथा यह बात भी उजागर हुई है कि उपभोक्ता आमतौर पर लग्ज़री गुड्स पर कितना भारी प्रीमियम देते हैं।

इन वायरल वीडियो ने तीव्र बहस छेड़ दी है, खासकर जब अमेरिका ने, वर्तमान में चीन से अमेरिका आने वाले सामान की एक विस्तृत शृंखला पर 145 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया है। तथापि, चीनी सप्लायरों ने इन चुनौतियों से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है, और साथ ही साथ वो अपने सामान को अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं। कई लोग लग्ज़री आइटम्स को कम ड्यूटी वाली श्रेणियों में घोषित करते हैं, कभी -कभी तो उच्च-स्तरीय चमड़े के हैंडबैग को सीमा शुल्क कम करने के लिए एक साधारण 'पीयू बैग' या 'उपहार वस्तु' के रुप में लेबल करते हैं।

सप्लायरों ने एक और तरीका अपनाया है। पहले वो अपना सामान साउथईस्ट देशों को भेजते हैं, फिर माल को उन देशों के उत्पादों के रुप में पुनः निर्यात करके, अक्सर सबसे ऊंचे अमेरिकी टैरिफ से बच जाते हैं- एक गतिविधि, जिसे ट्रांसशिपमेंट के रुप में जाना जाता है। हालांकि, अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए जांच बढ़ा दी है, लेकिन अनौपचारिक व्यापार चैनलों में यह प्रथा अभी भी बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त, कई चीनी सप्लायरों ने आयात शुल्क स्वयं वहन करना शुरु कर दिया है। इन अतिरिक्त लागतों के बावजूद, उनके लिए लाभ कमाने के लिए पर्याप्त मार्जिन रहता है, क्योंकि उन्हें लग्ज़री ब्रांडिंग, विज्ञापन ओवरहैड्स और खुदरा मार्कअप के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ता। कुछ मामलों में, सामान को बल्क कॉमर्शियल शिपमेंट के बजाय, छोटी-छोटी व्यक्तिगत खेपों के रुप में भेजा जाता है, जिससे सीमा शुल्क जांच और टैरिफ देनदारियां कम हो जाती हैं।

कुछ सप्लायर हांगकांग, दुबई या सिंगापुर जैसे टैरिफ -अनुकूल या कर-मुक्त क्षेत्रों में अपने गोदाम रखते हैं। इन स्थानों से वो ऑर्डर पूरा करते हैं, कभी-कभी कम शुल्क ब्रैकेट तक पहुंचने या प्रतिबंधों को पूरी तरह से बाईपास करने के लिए अपने सामान को "नॉन चाइना ओरिजिन" (गैर चीन मूल) का रुप दे देते हैं।

वायरल हुए क्लिप चीनी उत्पादों की क्वालिटी के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि इन लग्ज़री आइटम्स को बनाने में कितनी सावधानी बरती जाती है तथा कितनी कुशलता से इन्हें बनाया जाता है।

इसके अलावा, कितना हाई ग्रेड का रॉ मटीरियल उपयोग में लिया जाता है तथा इन्हें बनाने वाले कारीगर कितने अनुभवी हैं। ऐसा करके सप्लायर इस धारणा को भी चुनौती देना चाहते हैं कि चीन में निर्मित सामान स्वाभाविक रुप से हीन या घटिया होता है।

बीजिंग के लिए, यह जवाबी कार्रवाई उसकी व्यापक आर्थिक रणनीति के अनुरुप प्रतीत होती है। जबकि, अमेरिका दंडात्मक टैरिफ के साथ चीनी माल को लक्षित कर रहा है, चीन ने 125 प्रतिशत तक के शुल्क के साथ जवाबी कार्रवाई की है और घरेलू सुधारों को गहरा करने और अपनी वैश्विक आर्थिक साझेदारी का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। चीनी अधिकारियों ने वॉशिंगटन के ट्रेड एक्शन्स को एकतरफा "दादागिरी" बताया है और दबाव की रणनीति का विरोध करने का संकल्प लिया है।

यह नया घटनाक्रम इंगित करता है कि कैसे व्यापार युद्ध बोर्डरुम और टैरिफ शीट से आगे बढ़कर सार्वजनिक और डिजिटल क्षेत्रों में चला गया है, चीनी सप्लायर, बाज़ार में पश्चिमी लग्ज़री ब्रांडों के प्रभुत्व को अस्थिर करने के लिए, उपभोक्ता से सीधे जुड़ाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करके, वे न केवल लग्ज़री मूल्य निर्धारण मॉडल के अंदरुनी कामकाज का खुलासा कर रहे हैं, बल्कि यह भी परीक्षण कर रहे हैं कि आर्थिक शत्रुता के माहौल में ग्रे-मार्केट कॉमर्स कितनी दूर तक फैल सकता है।

एकल पट्टा प्रकरण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित, अन्य के खिलाफ लंबित मुकदमे को वापस लेने की गुहार की थी, जिसे एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एसीबी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि अभियोजन वापस लेने का पूर्व का निर्णय औचित्यहीन है और मौजूदा राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस को आगे बढाना चाहती है। वहीं, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यदि जांच में कोई कमी, गलती है या जांच दोषपूर्ण है तो वह न्याय के लिए उस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय पर भी पुनर्विचार कर सकती है। इसलिए उन्हें रिवीजन याचिका वापस लेने की मंजूरी दी जाए। इस दौरान आरोपी पक्ष की ओर से मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस राठौड़ की कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाया गया।

गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाले अशोक पाठक को हाईकोर्ट में पक्षकार बनाए जाने के मुद्दे पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि एसीबी कोर्ट के समक्ष दायर क्लोजर रिपोर्ट अधूरी व दोषपूर्ण साक्ष्यों पर की गई जांच के आधार पर पेश हुई थी। इसके चलते ही पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को राहत मिली थी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600